अनुदान संख्या 90 – पोत परिवहन मंत्रालय
GRANT No. 90 - MINISTRY OF SHIPPING

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	2035,00,00				
				2035,01,00	1588,42,82	-446,58,18
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					421,35,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	145,00,00				
				330,00,00	319,20,40	-10,79,60
पूरक	Supplementary	185,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					5,86,23

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	7200.00			
.			5601.01	5315.52	-285.49
पु.	R.	-1598.99			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	5000.00			
			123.57	..	-123.57
पु.	R.	-4876.43			
मुख्य शीर्ष "3051"	Major Head "3051"				
पत्तन और प्रकाश स्तंभ	Ports and Light Houses				
मू.	O.	94100.00			
पू.	S.	1.00	71835.89	70053.60	-1782.29
पु.	R.	-22265.11			
मुख्य शीर्ष "3052"	Major Head "3052"				
पोत परिवहन	Shipping				
मू.	O.	13470.00			
			11995.16	11682.02	-313.14
पु.	R.	-1474.84			
मुख्य शीर्ष "3056"	Major Head "3056"				
अंतर्देशीय जल परिवहन	Inland Water Transport				
मू.	O.	62830.00			
			53112.30	53112.30	..
पु.	R.	-9717.70			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकार को सहायता अनुदान	Grant-in-aid to State Governments				
मू.	O.	5600.00			
			3531.25	3531.22	-0.03
पु.	R.	-2068.75			

(I) ₹5600.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:—

(का) मुख्य शीर्ष "2552" —

(क) "अंतर्देशीय जल परिवहन — सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता — भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण" — ₹4000.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ख) "अंतर्देशीय जल परिवहन—केंद्रीय योजना स्कीमें — आईडब्ल्यूटी का विकास" — ₹1000.00 लाख — कोविड—19 लॉकडाउन की वजह से पूर्वोत्तर राज्यों से विकास कार्यकलापों के लिए कम मांग होने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" — "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान — विशेष सहायता — तटीय पोत परिवहन बर्थ को सहायता" — ₹600.00 लाख कोविड—19 महामारी की वजह से कार्य की धीमी प्रगति होने और परियोजना के स्थगित होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" — "सचिवालय — पोत परिवहन मंत्रालय" — ₹1884.48 लाख की बचत (₹7200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंहगाई भत्ता के स्थिरीकरण किए जाने, वस्तुओं की अधिप्राप्ति न होने, वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाने, कोविड—19 महामारी की वजह से कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3051" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:—

(का) "मुख्य पत्तन" —

(क) "निदेशन और प्रशासन — सागरमाला" — ₹12945.35 लाख की बचत (₹24100.00 लाख के स्वीकृत

(I) Provision of ₹5600.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" -

(a) "Inland Water Transport - Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Inland Waterways Authority of India" - ₹4000.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of balance amount.

(b) "Inland Water Transport - Central Plan Schemes - Development of IWT" - ₹1000.00 lakhs - due to less demand from North Eastern States for development activities owing to COVID-19 lockdown.

(B) Major Head "3601" - "Other Transfer/ Grants to States - Special Assistance - Assistance to Coastal Shipping Berth" - ₹600.00 lakhs - due to slow progress of work and postponement of project owing to COVID-19 pandemic.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Shipping" - saving of ₹1884.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7200.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, non-procurement of goods, restriction on expenditure by Ministry of Finance and less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic.

(III) Under Major Head "3051" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Major Ports" -

(a) "Direction and Administration - Sagarmala"- saving of ₹12945.35 lakhs

प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(खं) "पत्तन न्यासों को सहायता – कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा हल्दिया चैनल में रखरखाव और ड्रेजिंग" – ₹9807.85 लाख की बचत (₹30190.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिलों की प्रस्तुति में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) "लघु पत्तन – निदेशन और प्रशासन – सीई – सह–प्रशासक कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर तथा ई.ई. और संपर्क कार्यालय, नई दिल्ली के संबंध में स्थापना शुल्क" – ₹946.49 लाख की बचत (₹6745.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मरम्मत/रखरखाव से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और कोविड–19 महामारी की वजह से कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(गा) "प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत" –

(क) "निदेशन और प्रशासन – महानिदेशालय" – ₹1535.71 लाख की बचत (₹5523.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंहगाई भत्ता के स्थिरीकरण होने, कोविड–19 महामारी की वजह से कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(ख) "प्रकाश स्तंभ – कार्यात्मक व्यय" –

(i) "प्रबंधन" – ₹2600.66 लाख की बचत (₹9253.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंहगाई भत्ता के स्थिरीकरण किए जाने, विभिन्न स्थलों पर कार्य निलंबन/रूकावट होने, कोविड–19 महामारी की वजह से सामग्री/जनशक्ति की आवाजाही न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय की तिमाही प्रतिबंध होने के कारण हुई।

(against the sanctioned provision of ₹24100.00 lakhs) was due to slow progress of work owing to COVID-19 pandemic.

(b) "Assistance to Port Trusts - Maintenance and Dredging in Haldia Channel by Kolkata Port Trust" - saving of ₹9807.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30190.00 lakhs) was due to delay in submission of bills.

(B) "Minor Ports - Direction and Administration - Establishment charges in respect of CE-cum-Administrator office at Port Blair and E.E. & Liaison Office at New Delhi" - saving of ₹946.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6745.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards repairs/maintenance and less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic.

(C) "Light Houses and Light Ships" -

(a) "Direction and Administration - Directorate General" - saving of ₹1535.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5523.50 lakhs) was due to freezing of dearness allowance and less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic.

(b) "Light Houses - Working Expenses" -

(i) "Management" - saving of ₹2600.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9253.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, suspension/stoppage of work at various sites, non-transportation of material/manpower owing to COVID-19 pandemic and quarterly restriction of expenditure by Ministry of Finance.

(ii) "प्रचालन और रख–रखाव" – ₹1826.34 लाख की बचत (₹5500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में परिचालन आवश्यकता की वजह से "एमवी सागर द्वीप–II" जलयान की ड्राई डॉकिंग में विलंब होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3052" – "सामान्य – निदेशन और प्रशासन – पोत परिवहन महानिदेशालय" – ₹1722.89 लाख की बचत (₹10985.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंहगाई भत्ता के स्थिरीकरण किए जाने, एलटीसी दावों की कम प्राप्ति होने, कम दौरे किए जाने और कोविड–19 महामारी की वजह से गतिविधियों को शुरू न किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3056" – "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान" – ₹5860.00 लाख की बचत (₹25180.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कोविड–19 महामारी की वजह से कार्य की धीमी प्रगति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय पर तिमाही प्रतिबंध लगाने के कारण हुई।

(खा) "जल मार्ग विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता" – ₹3850.00 लाख की बचत (₹27000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से कार्य की धीमी प्रगति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय पर तिमाही प्रतिबंध होने लगाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – सागरमाला परियोजना" – ₹1468.78 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से कार्य की धीमी प्रगति होने और लंबित पर्यावरण मंजूरी की वजह से परियोजनाओं की अनुमति न मिलने के कारण हुई।

(ii) "Operation and Maintenance" - saving of ₹1826.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5500.00 lakhs) was due to delay in dry docking of vessel "MV Sagardeep-II" owing to operational requirement in Andaman & Nicobar Islands.

(IV) Under Major Head "3052" - "General - Direction and Administration - Directorate General of Shipping" - saving of ₹1722.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10985.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, receipt of less LTC claims, less tours undertaken and non-taking up of activities owing to COVID-19 pandemic.

(V) Under Major Head "3056" - "Assistance to Public Sector and Other Undertakings" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Grant to Inland Waterways Authority of India" - saving of ₹5860.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25180.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, slow progress of work owing to COVID-19 pandemic and quarterly restriction of expenditure by Ministry of Finance.

(B) "Aid from World Bank for Jal Marg Vikas Project" - saving of ₹3850.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27000.00 lakhs) was due to slow progress of work owing to COVID-19 pandemic and quarterly restriction of expenditure by Ministry of Finance.

(VI) Under Major Head "3601" - "Other Transfer/Grants to States - Special Assistance - Sagarmala Projects" - saving of ₹1468.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to slow progress of work owing to COVID-19 pandemic and non-sanctioning of projects owing to pending environmental clearances.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹5698.50 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3051" – "प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत – प्रकाश स्तंभ – कार्य संबंधी व्यय – सामान्य आरक्षित निधि" के अंतर्गत फरवरी, 2021 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2. The above savings were partly (₹5698.50 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in February, 2021 under Major Head "3051" - "Light Houses and Light Ships - Light Houses - Working Expenses - General Reserve Fund".

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major head: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "5051"	Major Head "5051"				
पत्तन और प्रकाश स्तंभों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Ports and Light Houses				
मू.	O.	13500.00			
पू.	S.	18500.00			
पु.	R.	-500.00	31500.00	31056.50	-443.50

(I) "लघु पत्तन – अन्य लघु पत्तन – लैंडिंग सुविधाओं और जेटीज का निर्माण" – ₹1500.71 लाख की बचत हुई (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब होने/श्रमिकों की उपलब्धता न होने के कारण हुई।

(I) Under "Minor Ports - Other Small Ports - Construction of landing facilities and Jetties" - saving of ₹1500.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to delay in execution of projects/non-availability of labourers owing to COVID-19 pandemic.

(II) "प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत – प्रकाश स्तंभों का निर्माण और विकास–प्रकाश स्तंभ का निर्माण और सुधार" – ₹929.34 लाख की बचत (₹5400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न स्थलों पर कार्य को स्थगित/रोके जाने, कोविड–19 महामारी की वजह से सामग्री/जनशक्ति की आवाजाही न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय पर तिमाही प्रतिबंध लगाने के कारण हुई।

(II) "Light Houses and Light Ships - Construction and Development of Light Houses - Construction and Improvement of Light Houses" - saving of ₹929.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5400.00 lakhs) was due to suspension/stoppage of work at various sites, non-transportation of material/manpower owing to COVID-19 pandemic and quarterly restriction of expenditure by Ministry of Finance.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1500.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि "मुख्य पत्तन – आरक्षित निधियों / जमा लेखों का अंतरण – केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि को अंतरण" के अंतर्गत फरवरी, 2021 में ₹18500.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

4. The above savings were partly (₹1500.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹18500.00 lakhs in February, 2021 under "Major Ports - Transfer to Reserve Funds/Deposit Accounts - Transfer to Central Road & Infrastructure Fund".